अल्पकालिक निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानक मद-29 अनुरक्षण (वार्षिक मरम्मत) के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य आगणन के अनुसार कराया जाना है।

क्र0स0	कार्य का विवरण	कराये जाने वाले कार्य की धनराशि (आगणन के अनुसार)
01	उपसेनानायक आवास के कमरा नं0 01की छत मरम्मत का कार्य।	30989.06
02	उपसेनानायक आवास के कमरा नं0 02 की छत मरम्मत का कार्य।	30989.06
03	उपसेनानायक आवास के कमरा नं0 03 की छत मरम्मत का कार्य।	30989.06
04	उपसेनानायक आवास के कमरा नं0 04 की छत मरम्मत का कार्य।	30989.06
05	उपसेनानायक आवास के किचन व बरामदा की छत मरम्मत का कार्य।	47221.26
06	उपसेनानायक आवास के गैराज व आ0चा0 (सहयोगी स्टाफ रूम) की छत मरम्मत का कार्य।	49065.93
	कुल योग-	220243.43

अतः उपरोक्त कार्य मानक मद-29 अनुरक्षण (वार्षिक मरम्मत) के अन्तर्गत कराये जाने हेतु निविदा दिनांकः 12/11/2026 को समय 1100 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो तददिनांक को ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत किये गये राजपत्रित अधिकारी द्वारा समय 1200 बजे खोली जायेगी, इच्छुक ठेकेदार नियत तिथि के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा की शर्तें

1- निविदा फार्म दिनांकः 11/11/2026 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 1700 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रु0 300/- जमा कर पत्र व्यवहार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

2- उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु निविदा दिनांकः 12/11/2026 को 1100 बजे तक डाली जायेगी।

3- निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4- निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।

5- ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेगें। निविदा दाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा कि उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।

6- उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्त निर्देश एवं आगणन, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फर्में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

7- वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।

8- ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य की भली भाँति निरीक्षण कर ले, तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10- विलम्ब अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11-ठेकेदार का एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी स्वीकृत धनराशि से कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

12-इसी चालू वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

13-निविदा अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसी दिन दोपहर 1200 बजे खोली जायेगी।

14-निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

15-वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है, वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश में विलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।

16-बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

17-वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी, वह अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।

18-अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

19-यदि ठेकेदार के विषय में अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उस को नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

20-ठेकेदार द्वारा यदि पानी बिजली का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार उपभोग की धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा अन्तिम भुगतान से उक्त धनराशि की कटौती की जायेगी।

21-ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में पेनाल्टी धनराशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। जो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।

22-किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद-सीतापुर होगा।

23-निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त आगामी 01 माह में उपरोक्त कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में पेनाल्टी के तौर पर धनराशि निर्धारित की जायेगी।

पत्र संख्याः भ-71/2026

दिनांकः /10/2026

30/X/26

सेनानायक

27वीं वाहिनी पीएसी

सीतापुर।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- कंट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें।

2- पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, लखनऊ अनुभाग, लखनऊ।

5- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/जिला उद्योग अधिकारी जनपद-सीतापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार-प्रसार कराने का भी कष्ट करें।

6- सेनानायक, 02वीं/11वीं वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर /एपीटीसी/पीटीसी/पुलिस अधीक्षक सीतापुर।

7- जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।